

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी- अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27/2022  
GCMS CASE NO- 2022/27

दायरा दिनांक 23.02.2022

प्रकाश पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन भैरुपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर  
(अपीलांत)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

(रेस्पोंडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांत
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांक:- 11.04.2023

यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के प्रकरण संख्या 09/2022 अनवान सरकार बनाम प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांत ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 15 एसएलडी के मु.न. 79/386 के किला न. 13 ता 19/1.771 है0 व कि.नं. 22/.228 है0 व कि.नं. 23/.228 है0, कि.नं. 24/.228 है0, 25/.228 है0 पत्थर नं. 79/387 के कि.नं. 1 ता 5/1.265 है0 रकबा कुल 3.548 है0 रकबा की नाजायज काश्त की कार्यवाही कर दिनांक 07.02.2022 को अपीलांत को तलबी का आदेश दिया व अपीलांत को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके पर खड़ी फसल को जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दे दिये व इसके पश्चात पत्रावली में राजस्व मण्डल की निगरानी संख्या 675/2002 में जारी स्थगन की प्रति उपलब्ध रहते हुए भी अपीलांत को बिना सुने ही दिनांक 07.02.2022 को अपीलांत को इस रकबा से मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया। उक्त आदेश अपीलांत के पीठ पीछे पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.02.2022 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रेस्पोंडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांत ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांत का रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 259 व 260 के 24.00 बीघा रकबा पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस रकबा को नियमन हेतु ईगानप योजना आवंटन नियम 21 क हेतु पत्रावली भी आवंटन हेतु पेश की हुई है, जिस पर आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने तहसीलदार से जांच मंगवा रखी है। इसी दौरान रोही भैरुपुरा उर्फ सीलवाणी के रकबा से चक बन्दी कायम हो गई व चकबन्दी के दौरान अपीलांत के कब्जा काश्त से जैर अपील रकबा चक 14 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/386 के किला न. 20/.228, 21/202 है0, 22/.114 है0 व चक 15 एसएलडी के प.नं. 79/386 के कि.नं. 13 ता 19/1.771 है0 व कि.नं. 22/.228 है0 व कि.नं. 24/.228 है0, 25/.228 है0 पत्थर नं. 79/387 के कि.नं. 1 ता 5/1.265 है0 रकबा कायम हो गया। मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांत की पीठ पीछे चक 15 एसएलडी के प.नं. 79/386 के कि.नं. 13 ता 19/1.771 है0 व कि.नं. 22/.228 है0, 23/.228 है0, कि.नं. 24/.228 है0, 25/.228 है0 पत्थर नं. 79/387 के कि.नं. 1 ता 5/1.265 है0 कुल रकबा 3.548 है0 रकबा की नाजायज काश्त की कार्यवाही कर दिनांक 07.02.2022 को अपीलांत को तलबी का आदेश दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खड़ी फसल कुर्क करने का आदेश दे दिया जो निरस्ती योग्य हैं। जैर प्रकरण रकबा के बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 675/2002/एलआर/श्रीगंगानगर अनवान प्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जैरकार है। उक्त निगरानी में जैर प्रकरण रकबा पर माननीय मण्डल का स्थगन प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को बिना सुने बिना सूचना दिये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया है। अपीलांत उक्त रकबा नियमन/आवंटन करवाने का पूर्णतया हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत




की गई कार्यवाही पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्त ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 675/2002/एलआर/श्रीगंगानगर में जैर अपील भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावित है। माननीय मण्डल के समक्ष प्रकरण जैरकार रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है जो अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 को प्रकरण दर्ज कर उसी दिन मौके पर खड़ी फसल जवाब करने के आदेश गिरदावर हल्का को दे दिये। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलान्त को सुना भी नहीं गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्ती योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आर्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। अपीलान्त दिनांक 28/04/2022 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। पत्रावली बाद तरतीब तकमिल नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अरविन्द कुमार जाखड़)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़